न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 19 / 2017

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

दिलीप पिता बापुलाल, रामलाल पिता शम्भु, मोहन पिता प्रभुलाल भील निवासी पारगीपाड़ा (भतार) तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 84, 86

आदेश

दिनांकः 5 / 5 / 2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी ने पटवार हल्का नाहली के मौजा भतार की खाता संख्या 01 के सर्वे नम्बर 1954 रकबा 0.15 हे0 किस्म–मगरी जो श्रीसरकार खातेदारी में दर्ज रेकार्ड भूमि में स्थित बबुल के पेड़ नंग 28, बांस के पौधे नंग 03, सीताफल के पौधे नंग 19, नीम के पेड़ नंग 02, कंजड़ी के पेड़ नंग 01, नीलगिरी के पेड़ नंग 02, रोजड़ा का पेड़ नंग 01, सागवान के पौधे नंग 02 को अप्रार्थीगण ने बिना अनुमति के कांट दिया हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। उक्त कांटे गये पेड़ / पौधो की लकड़ी श्री गटू पिता जगतु व बापु पिता ताजु भील निवासी पारगीपाड़ा को सुपुर्दगी में दी गई है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना स्वीकृति के उक्त पेड़–पौधो के कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किय गया मौका पर्चा / लकड़ी सुपुर्दगीनामा एंव राजस्व दस्तावेज की नकल आदि प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किया गया। तथा अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त पेड़–पौधो के सुख जाने एंव हवा के कारण गिर जाने से लकड़ी स्वंय के द्वार हटाना स्वीकार किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पटवारी हल्का द्वार तैयार किया गया मौका पर्चा / लकड़ी सुपुर्दगीनामा एंव राजस्व अभिलेख की नकल का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण श्री दिलीप पिता बापुलाल, रामलाल पिता शम्भु, मोहन पिता प्रभुलाल भील निवासी पारगीपाड़ा (भतार) द्वारा श्रीसरकार खातेदारी भूमि में स्थित उक्त पेड़ / पौधो को काटं कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उल्लघंन किया गया है। इस क्रम में न्यायालय के पत्रांकः 864 दिनांक 24.5.17 द्वारा मौका पर्चा में वर्णित राशि वसूल की जाकर राज कोष में जमा कराने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी पालन रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को श्रीसरकार खातेदारी भूमि में स्थित बबुल के पेड़ नंग 28, बांस के पौधे नंग 03, सीताफल के पौधे नंग 19, नीम के पेड़ नंग 02, कंजड़ी के पेड़ नंग 01, नीलगिरी के पेड़ नंग 02, रोजड़ा का पेड़ नंग 01, सागवान के पौधे नंग 02 को कांटने एंव बिना अनुमति के हटाने के फलस्वरूप अन्य छोटे पेड़ / पौधो की छूट दे जाकर नीम के पेड़ नंग 02 की प्रति पेड़ 100 / – रूपयें की दर से 200 / – रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराते हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार रू0 1,600 / – (अक्षरे रूपये एक हजार छह सौ) में सम्बन्धित भू–अभि0 निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से निलामी कराई जाकर जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष